


भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

16	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा कालिया खो जलाशय योजना के निर्माण हेतु प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा की गई अनुसंशा अनुसार वनमण्डल नीमच की 22.26 हे0 वनभूमि को आवेदक विभाग को उपयोग पर देने की अनुसंशा की जाती है।
----	---	--

स्थान :- भोपाल


H.S. MOHANTA
APCCF (I/M)
Bhopal